THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF INFORMATION AND BROADCASTING (SHRI P.M. SAYEED): (a) to (c) During the current financial year, All India Radio set up 7 multi-purpose studios, 1 Type-I studio and 1 Type-IV studio as indicated below:—

Multi-purpose Studios Daman (17.5.95), Rourkela (24.5.95), Jowai (2.12.95), Joranda (3.10.95), and Puri (29.6.95), Diphu (4.2.96), Mokokchung (26.1.96)

Type-l Studio
Gangtok (22.5.95)

Type-IV Studio
Hyderabad (24.11.95)

Securities Audit for Companies

128. SHRI T. VANKATRAM REDDY:
SHRI G. PRATHAPA REDDY:

Will the Minister of FINANCE be pleased to statae:

(a) whether Government propose to make Securities Audit for companies whose shares are listed or are being listed on Stock Exchange to prevent malpractice;

(b) if so, the details of the proposals in this regard; and

(c) the time by which it is likely to be implemented?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF FINANCE (DR. DEBIPROSAD PAL): (a) There is no such proposal at present.

(c) and (c) Do not arise in view of answer to (a) above.

दूरदर्शन पर दिखाये जाने वाले कार्यक्रमों के चयन में अनियमितता

129. **श्री चिमनभाई हरिभाई शुक्ल :** क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को दूरदर्शन पर दिखाये जाने वाले कार्यक्रमों के चयन में कथित अनिमितताओं के संबंध में समय-समय पर शिकायतें प्राप्त हुई है,

(ख) यदि हां, तो जून, 1990 से जून, 1995 के दौरान प्राप्त हुई ऐसी शिकायतों की राज्यवार, संख्या कितनी है,

(ग)क्या उक्त शिकायतों में से कुछ शिकायतें केन्द्रीय जाचं ब्यूरो के पास जांच हेतु भेजी गयी है,

(घ)यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है, और ऐसी जाचं का क्या परिणाम निकला है,

(ड.) सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कार्रवाई की गयी है,

(च) क्या कार्यक्रमों के चयनके संबंध में कोई निर्देश दिये गये हैं,

(छ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है, और

(ज़) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण है?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी.एम.सईद) : (क) और (ख) विभिन्न केन्द्रों एंव दूरदर्शन महानिदेशालय में समय-समय पर ऐसी शिकायतें प्राप्त होती है । गंभीर प्रकृति एंव घोर प्रक्रियात्मक अनिमितताओं की सूचक शिकायतों की विभागीय तौर पर जांच की जाती है तथा जब कभी शिकातयें प्रमाणित हो जाती है तो मामले को केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सी.बी.आई.) को भेज दिया जाता है । इस अवधि के दौरान प्राप्त हुई ऐसी शिकायतों का राज्यवार ब्यौरा निम्न प्रकार से है :-

कर्नाटक-3
गुजरात-2
दिल्ली-3
पंजाब-1
आंध्र प्रदेश-1

(ग) से (ड.) केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो को तीन शिकायतें भेजी गयी थी । केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरों ने एक मामले को यह सुझाव देते हुए वापस कर दिया है कि विभागीय जांच की जाए तथा दूसरे में, उन्होनें आरोप में कोई सच्चाई नहीं पायी, तीसरे मामले में उनकी रिपोर्ट की प्रतीक्षा है ।

(च) से (ज़) विभिन्न श्रेणियों में कार्यक्रम का चयन करने के लिए मार्ग-निर्देश कई वर्षों से विद्यमान है ।